राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह आर०ए०एस०

वा संख्या :– 5/2021 पु० प० — प्रशासन गांवों के संग अभियान

जसवंतसिंह S/o [illegible] रावत नि० चौहानों की कोरी – ह० उमरी – तह० करेडा

प्रार्थी........

बनाम

[illegible] S/o रामसिंह रावत नि० चौहानों की कोरी – ह० उमरी – तह० करेडा

विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: आदेश :: दिनांक 26/11/21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०राज०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत आवेदन किया कि ग्राम चौहानों की कोरी पटवार हल्का उमरी........ तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त की खाता संख्या 122 आराजी नम्बर 110/4 / 0.0632, 18 / 0.2150, 19 / 0.0885, 22 / 0.2023, 2231/61 / 0.0379, 242/1 / 0.0759, 243 / 0.0632, 2462/16 / 0.1265, 270/1 / 0.1265, 273 / 0.1770, 276 / 0.0759, 58 / 0.8347, 61 / 0.0506, 63 / 0.0253, 64 / 0.0126, 64/3 / 0.0632, 67/1 / 0.0253, 68, 73 / 0.1012, 74 / 0.0379 .... कुल किता 20 रकबा 2.4659 .... पर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 26/11/21........ को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी का कोई अदेंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम........... चौहानों की कोरी........ पटवार हल्का........ उमरी........ तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या .... आराजी नम्बर 110/4 / 0.0632, 18 / 0.2150, 19 / 0.0885, 22 / 0.2023, 2231/61 / 0.0379, 242/1 / 0.0759, 243 / 0.0632, 2462/16 / 0.1265, 270/1 / 0.1265, 273 / 0.1770, 276, 58 / 0.8347, 61 / 0.0506, 63 / 0.0253, 64 / 0.0126, 64/3 / 0.0632, 67/1 / 0.0253, 68 / 0.0632, 73 / 0.1012, 74 / 0.0379 .... कुल किता 20 ..... रकबा 2.4659 .... हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक [illegible]........ को 850/– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति [illegible] बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढीं की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की [illegible]।

संलग्न :– प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 16:38:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करेडा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेडा जिला भीलवाड़ा